बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

प्र0–11/सू०अ०–11–05/2022–914 (S), पटना, दिनांक–05.02.2025 का प्रतिस्थानी आदेश :

प्र0–11/सू०अ०–11–05/2022 पटना, दिनांक :

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

सेवा में,

महालेखाकार बिहार,
पटना।

द्वारा :– वित्त विभाग।

विषयः– प्रगति यात्रा की घोषणाओं में सम्मिलित कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज बथनाहा स्टेशन के बीच कटिहार–जोगबनी रेल खण्ड पर L.C. No. – KJ-65 के बदले सड़क उपरि पुल (आर०ओ०बी०) का निर्माण हेतु कुल ₹ 11564.55 लाख (एक सौ पन्द्रह करोड़ चौसठ लाख पचपन हजार) रूपये मात्र की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेशः– प्रगति यात्रा की घोषणाओं में सम्मिलित कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज बथनाहा स्टेशन के बीच कटिहार–जोगबनी रेल खण्ड पर L.C. No. – KJ-65 के बदले सड़क उपरि पुल (आर०ओ०बी०) का निर्माण हेतु कुल ₹ 11564.55 लाख (एक सौ पन्द्रह करोड़ चौसठ लाख पचपन हजार) रूपये मात्र की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. विषयगत ROB का सम्पूर्ण (पहुँच पथ अंश एवं रेलवे अंश) निर्माण कार्य बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा कराया जाना है। ROB की लागत में रेलवे द्वारा कॉस्ट शेयरिंग (Cost Sharing) के अन्तर्गत की जाने वाली राशि के अलावा अवशेष राशि का वहन राज्यांश राशि से किया जाएगा।

3. विषयगत योजना का बजट व्यय शीर्ष "5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय – 03-राज्य राजमार्ग–337-सड़क निर्माण कार्य – 0124 – सड़क (यूआर्डडीएफ–एनएचबी) विपत्र कोड संख्या– "41–5054033370124" विस्तृत शीर्ष – 53–मुख्य कार्य, वस्तुगत शीर्ष – 01– मुख्य निर्माण कार्य " के अन्तर्गत विकलनीय होगी।

4. विषयगत कार्य के कार्यान्वयन में वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या – 653 दिनांक–25.01.2026 का अनुपालन किया जाएगा।

5. विषयगत कार्यों हेतु अवर सचिव (लेखा) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना निकासी पदाधिकारी होगें तथा राज्यांश राशि की निकासी कर प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध करायेंगे एवं वे राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, पटना से करेंगे। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा निर्दिष्ट वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमंडल, कटिहार बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड विषयगत कार्य के निमित्त व्ययन पदाधिकारी होंगे।

6. विषयगत कार्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किया जाता है :–

	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य
2026-27	6478.652	लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण करना।
2027-28	1619.663	शत प्रतिशत कार्य पूर्ण करना।
राज्यांश राशि (A)	8098.315	
रेवले अंश की राशि (B)	3466.235	
कुल राशि (A+B)	**11564.55**	

7. मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना विषयगत कार्यों की प्रगति की नियमित रूप से प्रतिमाह समीक्षा करेंगे।

8. इसकी सूचना मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना / मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग / संबंधित अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग को दे दी गई है।

9. प्रस्ताव पर लोक वित्त समिति की अनुशंसा प्राप्त है।

10. वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 3758, दिनांक 31.05.2017 के आलोक में मूल प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक–04.02.2025 को मद् संख्या–131 के रूप में प्राप्त है।

11. प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ0– 30 / टि0 पर दिनांक–15.07.2026 को प्राप्त है।

ह०/–

(दीपेश कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र०को०),

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्र0–11 / सू०अ०–11–05 / 2022–914 (S), पटना, दिनांक–05.02.2025 का प्रतिस्थानी आदेश :

ज्ञाप संख्या :– प्र0–11 / सू०अ०–11–05 / 2022 पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन कोषागार, पटना को सूचनार्थ अग्रसारित।

ह०/–

(दीपेश कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र०को०),

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्र0–11 / सू०अ०–11–05 / 2022–914 (S), पटना, दिनांक–05.02.2025 का प्रतिस्थानी आदेश :

ज्ञाप संख्या :– प्र0–11 / सू०अ०–11–05 / 2022 पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग (आय–व्ययक शाखा), पटना / प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ / जिला पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ अग्रसारित।

ह०/–

(दीपेश कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र०को०),

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्र0–11 / सू०अ०–11–05 / 2022–914 (S), पटना, दिनांक–05.02.2025 का प्रतिस्थानी आदेश :

ज्ञाप संख्या :– प्र0–11 / सू०अ०–11–05 / 2022 पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना / अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन) / अभियंता प्रमुख (मुख्यालय) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना / मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना / मुख्य अभियंता सीमांचल, पथ निर्माण विभाग, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना / संबंधित अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग / अवर सचिव (लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

2. विषयगत कार्य की निविदा विस्तृत प्राक्कलन की जाँच एवं प्रावैधिक स्वीकृति पश्चात् ही सम्पादित किया जाय।

3. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना/मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना विषयगत कार्य के विस्तृत प्राक्कलन की प्रावैधिक स्वीकृति अविलम्ब प्रदान करेंगे।

4. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना विषयगत कार्य की मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन नियमित रूप से अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन/मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को भेजना सुनिश्चित करें।

ह०/–
(दीपेश कुमार)
संयुक्त सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

<u>प्र0–11/सू०अ०–11–05/2022–914 (S), पटना, दिनांक–05.02.2025 का प्रतिस्थानी आदेश :</u>

ज्ञाप संख्या :– प्र0–11/सू०अ०–11–05/2022 पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि :–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/सरकार के विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार/संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना/अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना /अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / संयुक्त सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग / मुख्य अभियंता (संविदा प्रबंधन, नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा), पथ निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना), पथ निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता (पथ संधारण), पथ निर्माण विभाग / मुख्य अभियंता (सेतु प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग /अधीक्षण अभियंता (नाबार्ड, बाह्य सम्पोषित, राष्ट्रीय उच्च पथ ROB), पथ निर्माण विभाग / सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का प्रकोठ/अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का प्रकोष्ठ /अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का प्रकोष्ठ /कार्यपालक अभियंता (बजट)–1 पथ निर्माण विभाग/कार्यपालक अभियंता (बजट)–2 पथ निर्माण विभाग कार्यपालक अभियंता, (नाबार्ड, बाह्य सम्पोषित), पथ निर्माण विभाग/ प्रशाखा पदाधिकारी, आय–व्ययक प्रशाखा–9/प्रशाखा–10 एवं 11, पथ निर्माण विभाग, पटना /मीशु मनीषा कुमारी, पी०एम०यु० लीड, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ अग्रसारित।

ह०/–
(दीपेश कुमार)
संयुक्त सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

<u>प्र0–11/सू०अ०–11–05/2022–914 (S), पटना, दिनांक–05.02.2025 का प्रतिस्थानी आदेश :</u>

ज्ञाप संख्या :– प्र0–11/सू०अ०–11–05/2022 5208 (S) पटना, दिनांक – 24/7/26

प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24.07.2026

(दीपेश कुमार)
संयुक्त सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।